राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम /ए–28/2017/ दिनांकः

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जैसलमेर।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 6207/2009 राजकुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2016 की पालना करने बाबत।
संदर्भः– आपका पत्रांक डीएचएस/एनएचएम/2017/28244–48 दिनांक 10.11.2017।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि श्री अनिल कुमार पुत्र श्री रामावतार (ओबीसी पुरुष वर्ग) ने एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु आपके अधीन वर्ष 2007 में आवेदन किया था। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6207/2009 राजकुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य समानान्तर याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2016 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम/2016/42 दिनांक 25.10.2016 के क्रम संख्या 140 द्वारा श्री अनिल कुमार पुत्र श्री रामावतार का नियमानुसार/वरियतानुसार चयन कर आपके अधीन पदस्थापित किया गया था।

अतः श्री अनिल कुमार पुत्र श्री रामावतार का मूल आवेदन पत्र संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना में अभ्यर्थी को एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर जीएनएम हेतु, पूर्व में प्रेषित अनुबंध की शर्तो की पालना कराते हुए आदेश जारी होने के 7 दिवस में कार्यग्रहण कराते हुए पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

संलग्नः– मूल आवेदन पत्र

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम /ए–28/2017/05 दिनांकः 10/01/18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजि सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम, मुख्यालय।
3. परियोजना निदेशक (एनएचएम), मुख्यालय।
4. प्रभारी, सर्वर रुम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

Systm1/F/Vishnu/NRHM GNM Letter